न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्याः–310/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/388)

1. रामकली पत्नी स्व. हरनारायण उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम नांडू तहसील टहला जिला अलवर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर, अलवर, राजस्थान।
2. तहसीलदार टहला जिला अलवर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री महेन्द्र शर्मा व महेश चन्द गौतम एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांक 01.05.2024

अपीलार्थीया द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीया ग्राम नांडू तहसील टहला जिला अलवर का एक बी.पी.एल. श्रेणी की भूमिहीन महिला किसान है तथा अपीलान्ट ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि कार्य हेतु भू आवंटन) नियम 1970 की धारा 8 के तहत भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया जिस पर अपीलान्ट को ग्राम नांडू तहसील टहला जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 438 रकबा 3.80 हैक्टयर बंजड़ में 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.37 हैक्टयर बारानी सोमय में से 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 455/541 रकबा 1.29 हैक्टयर किस्म बारानी–2 में से 0.43 हैक्टयर सिवायचक भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा अपने आवंटन आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22/2405 दिनांक 02.03.2022 को किया गया एवं आवंटित भूमि का कब्जा अपीलान्ट को संभला दिये जाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी इत्यादि में अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा आवंटित भूमि पर पैसे लगाकर एवं कड़ी मेहनत कर भूमि को कृषि योग्य तैयार किया गया एवं अपीलान्ट आवंटित भूमि पर कृषि कार्य कर रही है। उन्होने आगे कथन किया है कि कि आवंटन के पश्चात् अपीलार्थी को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित किया गया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी जॉच कमेटी अलवर की जॉच रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया है कि प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 के दौरान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत किये गये आवंटन को गठित जिला स्तरीय जॉच दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त

P.T.O

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आवंटन को निरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है। जिसके अंतर्गत 10 दिवस में जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया।उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी के द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 03.02.2023 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा में है जिस पर अपीलार्थी द्वारा लगातार फसल काश्त की जा रही है। उक्त आवंटित भूमि वन विभाग, खनिज विभाग से सम्बन्धित नही है, आवंटित भूमि राजस्व ग्राम नांडू तहसील टहला अलवर में स्थित है, जो सम्पूर्ण ग्राम कमाण्ड क्षेत्र में नही आता है भूमि की किस्म बंजड बारानी–2 है तथा अपीलान्ट बीपीएल भूमिहीन व गरीब परिवार की श्रेणी में आती है आवंटी, आवंटन की सभी शर्तो की पालना करती रही है उसके बावजूद अधीनस्थ जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपीलार्थी के जवाब को बिना कन्सीडर किये ही एवं अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होने का अधिकार नही देकर एवं न्यायिक प्रक्रिया एवं विधि के प्रावधानों की बिना पालना किये ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 के द्वारा उपखंड अधिकारी राजगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को अपास्त कर दिया गया जो आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट का परिवार बहुत ही गरीब बीपीएल श्रेणी का है एवं सिर्फ खेती पर ही निर्भर है तथा अपीलार्थी द्वारा भूमि आवंटन हेतु किसी तरह का कोई छल–कपट नही किया गया है और अपीलार्थी द्वारा भू आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन भी नही किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने भू आवंटन नियम 1970 के विधिक प्रावधानों पर बिना गौर किये ही एवं वास्तविकता की बिना कोई जॉच किये ही एकतरफा की गई फौरी जॉच को आधार बनाकर आवंटन आदेश को निरस्त किया गया है, जो निर्णय विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 को निरस्त फरमाया जावें एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को बहाल किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जॉच किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा एक जिला स्तरीय जॉच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जॉच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने विस्तृत जॉच की जाकर जॉच रिपोर्ट में आवंटन में अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। प्रकरण में आवंटन नियमों की व शर्तो की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में निम्न तथ्यों व रिपोर्ट का अंकन किया गया है कि मुताबिक जांच रिपोर्ट प्रस्तावित आराजी के खसरा नम्बरों का सम्वत् 2020 में साबिक खसरा नम्बर 445 मिन की किस्म गैर मुमकिन राड़ा दर्ज है, जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोकहित वाद नदी की भूमि निमार्ण आदि में प्रयुक्त नही की जा सकती है, गैर मुमकिन नला/पहाड़/राड़ा भी उक्त प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है, प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटीकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है, जॉच कमेटी ने आवंटन आदेश शिविरों/फैलोअप कैम्पों में नही किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आवंटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम में या विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने चाहिये, जो नही किये गये, पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नही है, पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत प्रमाण उपलब्ध नही है, उक्त आवंटन के सम्बन्ध मे आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 के अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तो की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा भी की गई है, इत्यादि जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है जिससे राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी की उक्त आवंटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आवंटन नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन हुआ हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।